E2

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांकः एफ 1(26)त.शि. / 2007 जयपुर, दिनांक : 29 जनवरी, 2018

::आदेश::

विषयः– समस्त राजकीय एवं अनुदान प्राप्त कर रही तकनीकी शिक्षण संस्थाओं (इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, एमबीए, एमसीए) में दिव्यांग जन हेतु 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने बाबत्।

केन्द्र सरकार द्वारा विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 का निरसन कर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 लागू किया गया है। अधिनियम की अधिसूचना दिनांक 28.12.2016 जारी की जा चुकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.4.2017 को रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 116 / 1998 जस्टिस सुनंदा भण्डारे फाउण्डेशन बनाम युनियन ऑफ इण्डिया के क्रम में दिये गये निर्णय में राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया कि वे अधिनियम की अनुपालना हेतु तुरंत आवश्यक कदम उठाये। अधिकनियम 2016 की धारा–32 में सभी राजकीय व अनुदान प्राप्त कर रही तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में न्यूनतम 5 प्रतिशत स्थान बेंचमार्क डिसएबिलिटिज वाले व्यक्तियों हेतु आरक्षित करने का प्रावधान किया है।

अतः समस्त राजकीय / निजी एवं अनुदान प्राप्त कर रही तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त संदर्भित निर्णय की पालना हेतु संबंधित नियम / विनियम आदि में आवश्यक संशोधन करते हुये समस्त पाठ्यक्रमों में दिव्यांगजनों की ' बेंचमार्क श्रेणियों हेतु पांच प्रतिशत स्थान आरक्षित किया जाना सुनिश्चित करें।

DIRECTORATE OF TECH. EDUCATION
JODHPUR
R. No. 106
DATE 6-2-2018

आज्ञा से,

(खेमराज)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, त.शि.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री तकनीकी शिक्षा।
2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3 रजिस्ट्रार राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर।
4 रजिस्ट्रार जयनारायण व्यास, विश्वविद्यालय जोधपुर।
5 रजिस्ट्रार महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर।
6 रजिस्ट्रार मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर।
7 रजिस्ट्रार राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।
8 निदेशक तकनीकी शिक्षा, जोधपुर।
9 समस्त प्राचार्य राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय।
10 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, त.शि.